


यदि यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहार और अवरुद्धों को छोड़, कृपया सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किराये
अन्य संव्यवहार और अवरुद्धों पर ध्यान देना चाहिए।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - 

(संज्ञक) - *clerk*

तलाशी के तात्पर्य और प्रमाण-पत्र की नोंद निम्न व्यक्ति को न थी


(हस्ताक्षर) - 

(संज्ञक) - *clerk*

सहायक *Joint Sub-Registry Officer*



तारीख *24/1/23*



निम्नलिखित पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवरुद्ध दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा मया प्राप्त सम्पत्ति विवरण को अनुसृत
किये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों की निरूपित दस्तावेजों
में विधान गमा हो, तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्नलिखित अधिनियम की धारा ५४ के अधीन जो व्यक्ति बहिष्कृत और अनुकूलनियों (इन्वेक्शन्स) की प्रविष्टियों देखाया जायेंगे
हो, अथवा जो उनसे प्रतिनिधि लेगा याहो हो अथवा किन्हीं विनिश्चित सम्पत्तियों के अवरुद्धों के प्रमाण-पत्रों की जलद
हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित कृत्य पर गुणगान करने पर बहिष्कृत और अनुकूलनियों उनके तलाशी रख दी
जायेंगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए सहायक ने अपेक्षित तलाशी अपने परतप
साक्षरानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की विरती भूत के लिए किराये की तरह
जिम्मेदार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उपरोक्त द्वारा दिये गये संव्यवहारों और
अवरुद्धों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक को न किये गये ऐसे संव्यवहारों
और अवरुद्धों की सूची के लिए किराये की तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उस सम्पत्ति पर प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

Search made by me

